

**कार्यसूचक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं प. राज. (प्रा. शि.) राजस्थान बीकानेर**

क्रमांक : शि.वि.स-प्रार/नियु-प्रको/नियु-2/982/शि.प.18/ले-2/गैरअनु/सा.शि/वि.ग./2018

दिनांक : 13-3-20

-- कार्यसूचक निदेशक --

राजस्थान प्रारम्भिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2018 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय विज्ञान और गणित सामान्य शिक्षा के पदों पर दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंको में छूट दिये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 4907/2019 व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22-07-2019 के क्रम में सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्या 05/2018 दिनांक 31-07-2018 के क्रम में संयुक्त विधि परामर्शी के पत्रांक प.18(110)प्राशि/वि.प्र./18 दिनांक 20-09-2019 के द्वारा स्थाई समिति की बैठक दिनांक 18-09-2019 के द्वारा माननीय खण्डपीठ के निर्णय के विरुद्ध आगे अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया। विभाग द्वारा माननीय न्यायालय की पालना में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑफ लाइन आवेदन प्राप्त किये गये तथा पंचायत राज नियम 1998 के नियम 277(क) के प्रावधान अनुसार शिक्षक भर्ती-2018 अन्तर्गत लेवल द्वितीय विज्ञान और गणित के पद पर निम्न दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों का चयन कर निम्नानुसार जिले आवंटित किये जाते हैं :-

Sr No	Merit No	Application No	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender	Category	SELECTION CATEGORY			Alloted District
								9	10	11	
1	WL-5956	201820202089	DEEPAK TYAGI	POORAN BENGH	06/09/1993	Male	GEN	GEN	M	BL	KARAULI
2	WL-5957	201820202187	VIKAS YADAV	PRITHVI SINGH	25/11/1994	Male	OBC	OBC	M	BL	JAIPUR
3	WL-5958	201820202087	DHARMA RAM	RAM PAL	01/11/1995	Male	SC	SC	M	BL	FALJ

  
(सौरभ स्वामी)

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शि.वि.स-प्रार/नियु-प्रको/नियु-2/982/शि.प.18/ले-2/गैरअनु/सा.शि/वि.ग./2018 दिनांक : 13-3-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
- 3 शासन उच सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
- 4 संयुक्त विधि परामर्शी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) शासन सचिवालय, जयपुर
- 5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिला परिषद्
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि), जयपुर
- 7 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय), संबंधित
- 8 संबंधित अभ्यर्थियों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सूचनार्थ।
- 9 रक्षित पत्रावली

  
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज(प्राशि)

राजस्थान बीकानेर